

राजस्थान-सरकार
जिदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/शैक्ष.-1/पं.4(त)45/छा.सं.घु./2011/23997-2405 दिनांक:- 12.8.2013

समस्त प्राचार्य,
राजकीय/अराजकीय आचार्य/शास्त्री
संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान ।

विषय:- महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव 2013 सम्पन्न करवाने बाबत।
प्रसंग:- उच्च शिक्षा विभाग का पत्रांक 3(11)शिक्षा-4/2013 दिनांक 10.08.2013


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तहत राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 2013 के सम्बन्ध में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुकूल कराने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, उल्लेखित कार्यक्रमानुसार छात्रसंघ चुनाव 2013 के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम की कठोरता से पालना सुनिश्चित करते हुए छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न करावे।

क्रं.स.	चुनाव कार्यक्रम	दिनांक	समय
1.	मतदाता सूचियों का प्रकाशन	16.8.2013	प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक
2.	मतदाता सूचियों पर आपत्ति प्राप्त करना	17.8.2013	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
3.	मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन	17.8.2013	दोपहर 1.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
4.	उम्मीद्वारी हेतु नामांकन पत्र दाखिल करना	19.8.2013	प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक
5.	उम्मीद्वारों द्वारा नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि	21.8.2013	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
6.	उम्मीद्वारों की अन्तिम नामांकन सूची का प्रकाशन	21.8.2013	दोपहर 1.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7.	मतदान	24.8.2013	प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक ।
8.	मतगणना एवं चुनाव परिणामों की घोषणा तथा विजयी उम्मीद्वारों को शपथ दिलवाना	24.8.2013	दोपहर 2.00 बजे से कार्य समाप्ति तक


यह भी स्पष्ट किया जाता है कि :-

- (क) दिनांक 16.8.2013 तक नियमानुसार एक वर्षीय अथवा उससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी नियमित विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे ।
- (ख) महाविद्यालय में चुने गये कक्षा प्रतिनिधि छात्र संघ के सदस्य होंगे एवं उनमें से छात्र संघ कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा ।
- (ग) छात्र संघ चुनाव परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने एवं निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम फैक्स/दूरभाष द्वारा निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करावे ।


(डॉ.मण्डन शर्मा)
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर
3. शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. संरक्षण पंजिका ।


निदेशक,
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर